न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ,हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः– कानाराम, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–149/24/2024 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

कोगटा फाई0 (इण्डिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय – कोगटा हाउस, आजाद मौहला, विजयनगर, राजस्थान व स्थानीय शाखा कार्यालय कोगटा फाई0 (इण्डिया) लिमिटेड 1 फलोर महावीर मार्केट बंसल हॉस्पिटल के सामने गंगानगर रोड़ हनुमानगढ़ जंक्शन जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

––प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुशील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी वार्ड नं. 23, रावतसर तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)। – ऋणी
2. श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री इम्मी चन्द निवासी वार्ड नं. 23, रावतसर तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)। – सहऋणी
3. श्रीमती धर्मा देवी पत्नी श्री इम्मी चन्द निवासी पोहरका, रावतसर तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)। – सहऋणी
4. ओम प्रकाश पुत्र श्री गोपाल राम निवासी वार्ड नं. 23, पोहरका खेतरपाल रोड़, रावतसर तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़(राज.) – सहऋणी
5. श्री भीमराज पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी वार्ड नं. 17, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। – गारण्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

–:आदेशः– दिनांक :– 26/03/2025

प्रार्थी कोगटा फाई0 (इण्डिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय – कोगटा हाउस, आजाद मौहला, विजयनगर, राजस्थान व स्थानीय शाखा कार्यालय कोगटा फाई0 (इण्डिया) लिमिटेड 1 फलोर महावीर मार्केट बंसल हॉस्पिटल के सामने गंगानगर रोड़ हनुमानगढ़ जंक्शन जरिये प्राधिकृत अधिकारी जरिये प्राधिकृत अधिकारी राहुल सिंह राठौड की ओर से श्री जयपाल झोरड़ वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को 23,36,042/– रूपये की ऋण सुविधा दिनांक 01.06.2022 को स्वीकृत व वितरित की गई थी। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में अपनी अचल सम्पति :– संकल्प संख्या एमपायर्ड/10.7. 2020/03/62 स्कीम, रावतसर लेयआउट मैप ब्लॉक नं. वार्ड नं. 23 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानढ़, साईज 299.71 वर्ग गज साईज है जिसकी चतुर्थ सीमा पूर्व में आम गली, पश्चिम में आम गली उत्तर मे श्याम सुन्दर का मकान दक्षिण में आम गली स्थित है जिसगें भूमि, भवन व ढॉचा आदि सम्पति के अभिन्न अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 299.71 वर्ग गज है, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने कम्पनी दवारा प्रदत ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार नही चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 05.12.2023 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता में बकाया राशि 25,89,254/– रूपये

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 12.01.2024 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया निकलते है और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 12.01.2024 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि जमा करने की मांग की गई। परन्तु नोटिस के उपरान्त भी समयावधि में ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री हर्षदेव भीढासरा एडवोकेट उपस्थित आये। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests of Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी अचल सम्पति :- संकल्प संख्या एमपायर्ड/10.7.2020/03/62 स्कीम, रावतसर लेयआउट मैप ब्लॉक नं. वार्ड नं. 23 रावतसर तहसील रावतरार जिला हनुमानढ़, साईज 299.71 वर्ग गज साईज है जिसकी चतुर्थ सीमा पूर्व में आम गली, पश्चिम में आम गली उत्तर मे श्याम सुन्दर का मकान दक्षिण में आम गली स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढॉचा आदि सम्पति के अभिन्न अंग है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी कम्पनी का चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26/3/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर
हनुमानगढ़
हनुमानगढ